

उत्तर प्रदेश शासन,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
संख्या-315/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024
लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2024 के अन्तर्गत मेगा एवं उच्चतर श्रेणी के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण, नीति के अन्तर्गत किसी प्रकार की स्पष्टता अथवा व्याख्या प्रदान करने तथा नीति के कार्यान्वयन हेतु निम्नवत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन | - | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग | - | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग | - | सदस्य |
| 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूगर्भ जल विभाग | - | सदस्य |
| 6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग | - | सदस्य |
| 7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग | - | सदस्य |
| 8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग | - | सदस्य |
| 9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट उ0प्र0 | - | सदस्य |
| 10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 | - | सदस्य |
| 11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विद्युत पारेषण निगम लि0 | - | सदस्य |
| 12. राज्य/केन्द्र सरकार के विषय वस्तु विशेषज्ञ, यूपीनेडा द्वारा नामित | - | सदस्य |
| 13. निदेशक, यूपीनेडा | - | सदस्य सचिव |

2- उक्त उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति मेगा एवं उच्चतर श्रेणी के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। यह समिति नीति के अन्तर्गत किसी प्रकार की स्पष्टता अथवा व्याख्या प्रदान करने तथा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु अधिकृत होगी।

संलग्नक: यथोपरि।




(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-315(1)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र० ।
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन ।
4. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन ।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री / मा० राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० ।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
8. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
10. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. प्रबन्ध निदेशक-समस्त डिस्काम, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।